नवीन प्र० 384

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. / 2015 पुनरीक्षण निगरानी 384-II-15

रामलाल उर्फ रामा पुत्र नंदा रावत
निवासी ग्राम अब्दापूर तहसील मल्हारगढ
जिला मंदसौर (म.प्र.)

.... आवेदक

मुकेश भार्गव 18-2-15

18-2-15

मुकेश भार्गव 18-2-15 एडवोकेट ग्वालियर

विरूद्ध

1. चम्पालाल पुत्र बदरीलाल भील
2. रूगनाथ पुत्र बदरीलाल भील
3. चम्पा पुत्र रोडा रावत
4. करण सिंह पुत्र रामा रावत

सभी निवासीगण ग्राम अब्दापूर तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ-13/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2014 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त योग्य है।

2- यह कि, अनावेदक 1 ता 2 ने तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131, 132 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि सर्वे क्रं. 89/1 रकवा 0.48 हे.

(520)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-384-दो/15 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	